

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 30/03/2011

वर्ग 1 बैठक का दिनांक 08/04/2011 विभाग का नाम पंचायत और ग्रामीण विकास

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आस्तियों का निर्धारण ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 6078) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति

क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (3) के तहत जारी अनुसूची 1 ग्रामीण नियोजन गारंटी की न्यूनतम विशेषता कंडिका 2 में टिकाऊ आस्तियों कंडिका 3 ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं ?

(ख) राज्य शासन टिकाऊ आस्तियां किन-किन को मानता ग्रामीण क्षेत्र किन-किन को मानता है वन विभाग के वर्किंग प्लान में शामिल वन क्षेत्रों को टिकाऊ आस्तियां एवं ग्रामीण क्षेत्र किन प्रावधानों के तहत माना जा रहा है ?

(ग) वन क्षेत्रों में योजना के तहत किये जा रहे किन-किन कार्यों को शासन टिकाऊ आस्तियां मान रहा है उन पर ग्रामीणों को क्या-क्या अधिकार प्राप्त होंगे इनमें वन विभाग कब और कितना हस्तक्षेप कर सकता है ?

(घ) वन क्षेत्रों में वन विभाग की कार्ययोजना में बताये गये कार्यों के लिये योजना के तहत किन कारणों से स्वीकृति प्रदान की जा रही है इनसे कौन-कौन सी टिकाऊ आस्तियों का सृजन हो रहा है ?

स्वीकृत

स.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

(स.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित प्रजीकृत संस्था)

59, सी-विन नर्मदा भवन, द्वितीय तल अरुण हिल्स, भोपाल

SA-08/P-17

क्रमांक 3000 वि.स./एनआर-11/2011, भोपाल, दिनांक 19/03/2011

प्रतिनिधि - प्रमुख सचिव, मध्य शासन वन विभाग (59/182-भोपाल)

- कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं. सम.स. स.प्र की ओर विधानसभा प्रश्न की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त प्रश्न का उत्तर दिनांक 24/03/2011 तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को 10 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- आयुक्त सम.स. संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।
- मुख्य अभियंता, स.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4- प्रभारी अधिकारी योजना शाखा, मध्य राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल

(प्रद्युम्न वसी)
संचालक
जन शि एवं गुण नि.प्र.को 19/3/2011

स.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल
कार्य-जो नं 0755-2551489 फैक्स 2550094

ई-मेल mega_vs@yahoo.co.in rdimp@yahoo.com